# DISTRICT SUB REGISTRY OFFICE, PATNA

## संपत्ति–अवभार प्रमाण पत्र

अनुसूची 21–प्रपत्र संख्या
प्रमाण–पत्र सं०कृ.. 2084/2026

आवेदन सं० कृ 2108/2026

चूँकि श्रीमती/श्री Sunrise Homes Th. Partner Dharmesh Kumar ने मेरे पास आवेदन किया है निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित व्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 2 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में **दिनांक– 01.01.2007 TO 30.03.2026** तलाशी की गई और की गई तलाशी के बाद निम्न व्यवहारों और अवभारों का पता चला है/नहीं

| कम सं० | (क) संपत्ति का विवरण | निष्पादन की तारीख | (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य | पक्षों के नाम | | दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निष्पादन | दावेदार | जिल्द सं० | वर्ष | पृष्ठ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Mauja- Dhakanpura<br>Thana No- 7<br>Khata No.- 409<br>Khesara No.- 132<br>Circle- Patna<br>Area- 21.40625 Dismil<br>Dist-Patna | | | | | | | |

(क) अवलोकन के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक–पत्र की दशा में, ब्याज की दरें और भुगतान की अवधि दर्ज करें।बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टी की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी संव्यवहार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण–पत्र तैयार किया–
(हस्ताक्षर):– निशाँत कुमार 31/03/26
(पदनाम):– डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की–
(हस्ताक्षर):– सैयद जुनैद अकरम 31/03/26
(पदनाम):– निम्न वर्गीय लिपिक

कार्यालय :–जिला अवर निबंधन कार्यालय, पटना।

(निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

टिप्पणी :–

1. इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण किन्हीं इन संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया न गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्ज़ेक्शन्स) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणीयों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उन की प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के प्रमाण–पत्रों के जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ ओर अनुक्रमणीयाँ उनके सामने रख दी जायेगी।

✓ (क) किन्तु, चूँकि वर्त्तमान मामलों में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं किया है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की हैं। फिर भी, कार्यालय द्वारा किये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह ज़िम्मेवार नहीं होगा।

3. (ख) और, चूँकि वर्त्तमान मामलों में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी की है और चूँकि उसके द्वारा ढूंढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा, जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

**जिला अवर निबंधक, पटना पत्रांकः– 3104 दिनांकः–31.03.2026**

सेवा में,

Manager, IOB, Bihta, Patna - के पत्रांक– 206 दिनांकः– 26.03.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला अवर निबंधक
पटना।